



Neutral Citation No. - 2026:AHC:47679-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 2166/2025

राम बाबू

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : आनंद प्रकाश पांडे, शरद कुमार श्रीवास्तव,

सुनील प्रताप सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : राजीव सिंह (एस.सी.)

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से लोकहित में प्रत्यर्थी संख्या 6 द्वारा रेत के अत्यधिक भंडारण से व्यथित होकर दायर की गई है।
2. यह अभिकथन किया गया है कि यद्यपि रेत के भंडारण की अनुज्ञप्त मात्रा साठ हजार घन मीटर है, प्रत्यर्थी द्वारा अनुज्ञप्त क्षमता से दोगुनी मात्रा का भंडारण किया जा रहा है और भंडारण का स्थान भी अनुज्ञप्ति के प्रतिकूल है, जिसमें यह खनन स्थल से न्यूनतम 5 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, जबकि यह केवल 3.28 किलोमीटर की दूरी पर है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा अनुदेश प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह इंगित किया गया है कि साठ हजार घन मीटर की अनुज्ञप्त क्षमता के विरुद्ध स्थल पर कुल 29,500 घन मीटर रेत पाई गई और भंडारण खनन स्थल से 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को अनुज्ञप्ति तथा आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था जो अब न्यायालय के अवलोकन हेतु प्रस्तुत की गई है, जिसमें अनुज्ञप्ति साठ हजार घन मीटर की स्वीकृत क्षमता इंगित करती है और यह नदी तट से 5 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। उप-जिलाधिकारी, खनन निरीक्षक और स्थानीय लेखपाल की आख्या इंगित करती है कि भंडारण स्वीकृत खनन पट्टे के क्षेत्र से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और स्थल पर कुल 29,500 घन मीटर रेत भंडारित की गई थी।

5. आख्या में इंगित तथ्यों के दृष्टिगत, वर्तमान याचिका में कोई अग्रेतर आदेश पारित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि वे भंडारण की निगरानी जारी रखें जो प्रत्यर्थी के पक्ष में स्वीकृत मात्रा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6. उपरोक्त संप्रेक्षणों के साथ, याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

9 मार्च, 2026

पी श्री/एके शुक्ला